न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01 / 2024
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2024 / 4

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

1. श्रीमती पारी पत्नि श्री बालु निवासी गोरडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि धुलजी निवासी गोरडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
3. श्रीमती सविता पत्नि बदामीलाल निवासी गोरडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्रीमती हजना पत्नि कालु निवासी गोरडी तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्सः–

1. तहसीलदार तहसील बांसवाडा
2. पटवारी हल्का देवलीया तहसील बांसवाडा
3. श्री हातिम अली पत्रावाला पिता श्री शब्बीर पत्रावाला निवासी मुस्लिम कोलोनी, बांसवाडा

उपस्थित

श्री मुकेश द्विवेदी, अधिवक्ता अपीलांट
श्री योगेश सोमपुरा अधिवक्ता अपीलांट

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता
श्री राहुल चंचावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 3

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 11–03–2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री नाथुलाल तेली पिता गेफरलाल तेली निवासी तेलीवाडा बांसवाडा के एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04–08–2023 पर कि ग्राम गोरडी में स्थित खसरा नंबर 569 रकबा 0.0647 हैक्टे. एवं खसरा नंबर 580 रकबा 0.0162 हैक्टे. राजहित में समर्पित भूमि जो श्रीसरकार रास्ता दर्ज है पर अतिक्रमण किया जा रहा है को हटवाने पेश किया। पटवारी हल्का देवलीया एवं भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] डियावासा से जाँच रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण होने पर तहसीलदार बांसवाडा द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:58 IST
Reason: SelfAttested

के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई दिनांक 12–01–2024 को निर्णय पारित कर अप्रार्थीगणो को ग्राम गोरडी की आराजी संख्या 569 रकबा 0.0647 हैक्टे. व खसरा संख्या 580 रकबा 0.0162 हैक्टे. से वेदखल करने, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने आदेशित किया एवं अप्रार्थीगणो के विरुद्ध 45 रुपया शास्ति आरोपित की गई। जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलांट्स की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 ,प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंटस् को समन जारी किये गए। दिनांक 15–02–2024 को अपीलांट के अधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट सं. 1, 2 उपस्थित आये। रेस्पोडेंट संख्या 3 का नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त नही होने पुनः नोटिस जारी किया गया तथा उपस्थित पक्षकारो को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने आदेशित किया। रेस्पोडेंट सं. 3 का सम्मन दिनांक 23.02.2024 को बाद तामिल प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेंट्स 3 की ओर से श्री राहुल चंचावत अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ, अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता भी उपस्थित आये। रेस्पोडेंट सं.3 के अधिवक्ता ने जवाब हेतु समय चाहा गया।

दिनांक 07.03.2024 को रेस्पोडेंट सं. 3 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अपने जवाब में उल्लेखित किया कि अपीलार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नंबर 568 रकबा 0.0800 हैक्टेयर थी जिस मे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927–ए में अपीलार्थी की कृषि भूमि रकबा 0.0800 हैक्टेयर मे से 0.0324 हैक्टे. अवाप्त होने से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 927–ए में चली गई शेष कृषि भूमि अपीलार्थी के पास है जिससे अवाप्तशुदा भूमि का नम्बर 1931/568 और अपीलार्थीगण के खातेदारी की भूमि का नम्बर 1932/568 हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 की कृषि भूमि जिसका सर्वे नंबर 569 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927–ए में जाने से रास्ता हो गया है तथा सर्वे नंबर 569 के पिछे प्रत्यर्थी संख्या 3 की वाणिज्यिक भूमि जिसका सर्वे नंबर 1847/18[illegible] पिछे प्रत्यर्थी संख्या 3 की आबादी भूमि जिसका सर्वे नंबर 1838/869 है। खसरा संख्या 569 [illegible] 0.0647 हैक्टे. व 580 रकबा 0.0162 हैक्टे. जो रास्ते में दर्ज है जिसका रेकार्ड राजस्व विभाग में उपलब्ध है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा गैर कानूनी तरीके से वाणिज्यिक दुकाने बनाकर गैर कानूनी तरीके से निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:58 IST
Reason: SelfAttested

कार्य किया गया जिसकी शिकायत नाथूलाल तली पिता गफरलाल तली निवासी तलीवाडा बांसवाडा के द्वारा दिनांक 04–08–2023 को तहसीलदार बांसवाडा को की गई जिस पर तहसीलदार बांसवाडा ने पुरे प्रकरण की रिपोर्ट करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा एवं पटवारी हल्का देवलीया से करवाई गई तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण ने मुख्य सडक के मध्य से 132 फीट (40 मीटर) की सीमा में गैर कानूनी बिना निर्माण स्वीकृति के निर्माण कार्य किया गया और उक्त रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि श्रीसरकार भूमी खसरा संख्या 569 रकबा 0.0647 व खसरा संख्या 580 रकबा 0.0162 है जो कि समर्पण से किस्म रास्ता दर्ज रेकार्ड है तथा तहसीलदार बांसवाडा के आदेश क्रमांक 462–63 दिनांक 20–03–2017 के द्वारा श्री हुरजी वगैरह निवासी गाव मोरडी के द्वारा अपने खाते की भूमि राजहित मे सडक के मध्य आने से ग्राम गोरडी के खसरा संख्या 569 रकबा 0.08 बिस्वा व खसरा संख्या 580 रकबा 0.02 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 0.10 बिस्वा का राजहित में समर्पण स्वीकार किया जाकर राजकीय रास्ता में दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार तहसील बांसवाडा ने उक्त रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा एवं पटवारी हल्का देवलीया के आधार पर अपीलार्थीगण ने गैर कानूनी तरीके से ग्राम गोरडी के खसरा नंबर 569 रकबा 0.0647 व 580 रकबा 0.0162 जो समर्पण करने से रास्ता दर्ज रेकार्ड है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अवैधानिक रुप से अतिक्रमण किये जाने से तहसीलदार बांसवाडा द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिनांक 12.01.2024 को पारित किए है।

अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 1932/568 में किसी भी प्रकार का पुराना निर्माण कार्य नही है तथा उक्त आराजी नंबर 1932/568 कृषि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना स्वीकृती के नही हो सकता है तथा निर्माण की स्वीकृती अपीलार्थीगण के पास नही है और न ही अपील के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी सं. 3 ने यदि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य किया है तो अपीलार्थीगण को शिकायत करनी थी जो अपीलार्थीगण ने नही की तथा प्रत्यर्थी सं. 3 अपने अबादीशुदा व वाणिज्यिक भूमि मे नियमानुसार निर्माण कार्य कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी सं. 3 को अपील में [illegible] पक्षकार [illegible] है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांसवाडा में पक्षकार बनाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है तथा प्रत्यर्थी सं. 3 को अपील के दौरान पक्षकार बनाने का सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई कानूनी प्रावधान नही है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए क्योकि उक्त प्रकरण से प्रत्यर्थी सं. 3 को इसलिए पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 3 अपने स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन में निर्माण कार्य कर रहा है उसे अपीलार्थीगण रुकवाना चाहते है। श्रीमान् के प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 23–02–2024 का गलत फायदा उठाकर अपीलार्थीगण ने एक पत्र तहसीलदार बांसवाडा को दिया जिस पर तहसीलदार बांसवाडा ने प्रत्यर्थी सं. 3 के द्वारा अपनी भूमि पर निर्माण कार्य को प्रकरण की जाँच किये बिना रुकवा दिया। जबकि उक्त प्रकरण से प्रत्यर्थी सं. 3 का कोई सम्बन्ध नही है।

दिनांक 11.03.2024 को उभय पक्षकारान ने उपस्थित होकर बहस प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी सं. 3 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था। प्रत्यर्थी सं. 3 को अपील में पक्षकार किस आधार पर बनाया गया है उसका कोई उल्लेख नही है। माननीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 3 को पक्षकार बनाने की कोई अनुमति नही दी है। प्रत्यर्थी सं. 3 को अपील में बेवजह पक्षकार बनाया गया है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांसवाडा में पक्षकार बनाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है तथा प्रत्यर्थी सं. 3 को अपील के दौरान पक्षकार बनाने का सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई कानूनी प्रावधान नही है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए क्योकि उक्त प्रकरण से प्रत्यर्थी सं. 3 को इसलिए पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि प्रत्यर्थी सं. 3 अपने स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन में निर्माण कार्य कर रहा है उसे अपीलार्थीगण रुकवाना चाहते है। अपील सुनने से पूर्व प्रत्यर्थी सं.3 को पक्षकार के तौर पर हटाने के आदेश पारित करे। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त फरमावे।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील पर बहस के दौरान अपील मैमो में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नंबर 568 रकबा 0.0800 हैक्टे. ग्राम गोरडी तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित है। [illegible] के लिये इस आराजी के रकबा 0.0324 हैक्टे. भाग को अवाप्त किया गया और बाद अवाप्ति अपीलार्थीगण के पास 0.0323 हैक्टे. उनकी खातेदारी में शेष रहा। बाद अवाप्ति अवाप्तशुदा भूमि का नम्बर 1931/568 और खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:58 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का नम्बर 1932/568 हो गया। अपीलार्थी की आराजी नंबर 568 के उत्तर में आराजी नंबर 569 रकबा 1.14 बिघा और आराजी नंबर 580 रकबा 0.02 बिघा स्थित है। इनके खातेदार हुरजी लक्ष्मण वगैरह ने आराजी नंबर 569 रकबा 1.14 बिघा मे से 1.06 बिघा का दिनांक 14.12.2016 को सम्परिर्तन करवाया और सम्परिवर्तित भूमि प्रत्यर्थी सं. 3 श्री हातिम पत्रावाला पिता शब्बीर पत्रावाला को विक्रय कर दी। सम्परिवर्तित भूमि को आराजी नंबर 1847/1838 रकबा 0.0890 हैक्टे. व 1868/569 रकबा 0.1214 हैक्टे. आवंटित कर दोनो आराजियात का कुलिया रकबा 0.2104 हैक्टे. जमाबन्दी में आबादी दर्ज किया गया।

अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 1932/568 में पुराना निर्माण स्थित है उसके पिछे प्रत्यर्थी सं. 3 ने आराजी नंबर 569 मे से बची अरुपांतरित भूमि रकबा 0.08 बिघा और आराजी नंबर 580 रकबा 0.02 बिघा कुल किता 2 कुल रकबा 0.10 बिघा पर अवैध निर्माण कर रखा है जिसे बचाने के लिये एक साजिश के तहत अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 1932/568 में स्थित निर्माण को आराजी नंबर 569 मे से बची अरुपांतरित भूमि रकबा 0.08 बिघा और आराजी नंबर 580 रकबा 0.02 बिघा कुल किता 2 कुल रकबा 0.10 बिघा में स्थित होना बताकर उस निर्माण को विवाद में डाल दिया।

प्रत्यर्थी सं. 3 ने अपने इशारे पर जिला कलक्टर महोदय के समक्ष एक शिकायत दिनांक 04.08.2023 को पेश की। जिला कलक्टर महोदय ने यह शिकायत आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सं. 1 के पास भेजी। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिर्पोट के आधार पर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि पर स्थित पुराने निर्माण को रास्ते के लिये समर्पित आराजी नंबर 569 व 580 कुल किता 2 कुल रकबा 0.10 बिघा पर किया जाना अंकित किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को सही मानकर रास्ते के लिये समर्पित भूमि पर स्थित निर्माण को ध्वस्त करने का निर्णय प्रदान कर दिया। इस निर्णय की आड़ में प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि पर स्थित निर्माण को ध्वस्त करने पर तुले हुए है। जबकि अपीलार्थीगण का रास्ते के लिये समर्पित भूमि आराजी नंबर 569 व 580 कुल किता 2 कुल रकबा 0.10 बिघा पर मौजुद निर्माण से कोई सम्बन्ध नही है। उक्त भूमि पर निर्माण प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा किया गया है जिसे वह बचाना चाहता है। अवाप्तशुदा भूमि, रुपान्तरित भूमि, अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि और रास्ते के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:58 IST
Reason: SelfAttested

समीपस्थ आराजी नंबर 569 व 580 कुल किता 2 कुल रकबा 0.10 बिघा सब एक दुसरी भूमि से इतनी सटी हुई है कि प्रत्यर्थी सं. 3 के उक्त साजिश में सफल होने की पुरी संभावना है।

तहसीलदार बांसवाडा ने जो नोटिस अपीलार्थीगण को दिया है उसमे विधि के ऐसे किसी भी प्रावधान को अंकित नही किया है जिसके तहत उक्त नोटिस जारी होने की जानकारी अपीलार्थीगण को हो सके। जबकि आक्षेपित निर्णय के शिर्षक में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत निर्णय अंकित कर दिया गया है। उक्त नोटिस और उसकी पालना में की गयी सारी कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य और क्षैत्राधिकार विहिन होकर निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान दिनांक 29.12.2023 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के जरिये अपना जवाब, नक्शा नजरी और मौके के फोटो पेश किये जिसे रेकार्ड पर ही नही लिया गया और इसका उल्लेख आर्डर शीट में भी नही किया गया। निर्णय आने पर अपीलार्थीगण को यह पता लगा कि जवाब इत्यादि रेकार्ड पर लिये बिना ही निर्णय कर दिया गया। निर्णय की पेशी से एक पेशी पहले की आर्डर शीट दिनांक 05.01.2024 मे ऐसा कोई उल्लेख नही है कि इस दिन पक्षकार की बहस सुनी गई हो और अगली पेशी दिनांक 12.01.2024 को निर्णय सुनाया जायेगा। दिनांक 12.01.2024 को अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पेशी हेतु उपस्थित हुए तो उन्हे पता चला कि प्रकरण का निर्णय पारित हो चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना और उनकी बहस सुने बिना ही जो निर्णय प्रदान किया है वह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है।

भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा, पटवारी हल्का देवलीया द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई वह अपीलार्थी को सुने बिना बनायी गई है। रिपोर्ट के साथ कोई मौका पर्चा बनाकर पेश नही किया है केवल नक्षा ट्रेस संलग्न किया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि अपीलार्थीगण का निर्माण सडक सीमा से 132 फीट में स्थित है जबकि अपीलार्थीगण की उपस्थिति में कोई नप्ती नही की गयी। अपीलार्थीगण का निर्माण सडक सीमा में है अथवा नही और निर्माण नियम विरुद्ध है या नही इसे तय करने का अधिकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त है पटवारी को यह क्षैत्राधिकार नही है। प्रकरण में ऐसा कोई प्रमाण पेश नही किया है कि अपीलार्थी ने समर्पित भूमि पर अतिक्रमण किया हो। जब तक किसी मुस्तकील मुकाम से आराजी नंबर 568 और पडौस के

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:58 IST
Reason: SelfAttested

आराजी सर्वे नंबरो के लिये सक्षम सर्वे टिम गठित कर रिपोर्ट प्राप्त नही कर ली जाती तब तक अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर उन्हे अपनी खातेदारी से बेदखल करने निर्णय प्रदान करना राजकीय क्रुरता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.01.2024 अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि श्री नाथूलाल पिता गेफरलाल तेली निवासी तेलीवाडा बांसवाडा के द्वारा दिनांक 04.08.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थीगणो द्वारा ग्राम गोरडी में स्थित खसरा नंबर 569 रकबा 0.0647 हैक्टे. एवं 580 रकबा 0.0162 हैक्टे. राजहित में समर्पण भूमि श्रीसरकार रास्ता दर्ज रेकार्ड है, पर अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की जाँच पटवारी हल्का देवलीया व भू अभिलेख निरीक्षक चिडियावासा से करवाने पर अतिक्रमण होना पाया गया। जिस पर तहसीलदार बांसवाडा द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी कर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त प्रकरण सं. 18/2023 में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत् अप्रार्थीगणो को ग्राम गोरडी की आराजी संख्या 569 रकबा 0.0647 हैक्टे. व खसरा संख्या 580 रकबा 0.0162 हैक्टे. से बेदखल करने, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने आदेशित किया एवं अप्रार्थीगणो के विरुद्व 45 रुपया शास्ति आरोपित की गई। जो पुर्णतः विधिसम्मत है। अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है। अपील में पटवारी हल्का देवलीया को पक्षकार के रुप में प्रस्तुत करना विधिनुकुल नही है क्योंकि इस अपील में तहसीलदार बांसवाडा को पक्षकार बनाया गया है। पटवारी हल्का देवलीया जो कि तहसीलदार बांसवाडा के अधिनस्थ कार्मिक है। पटवारी हल्का देवलीया को पक्षकार के रुप में हटाये जाने निवेदन किया।

प्रकरण में पटवारी हल्का देवलीया औपचारिक पक्षकार है जिन्हे सुना जाना आवश्यक नही है।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पटवारी हल्का देवलीया की रिपोर्ट दिनांक 25.08.2023 के आधार पर ग्राम गोरडी के आराजी संख्या 569 रकबा 0.0647 हैक्टे. व खसरा संख्या 580 रकबा 0.0162 हैक्टे. पर अपीलार्थीगणो के द्वारा अवैध निर्माण की सूचना पर उपनिवेशन अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:58 IST
Reason: SelfAttested

की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि आदेशिका अनुसार अप्रार्थीगण अधिकतर पेशी दिनांक को दौराने सुनवाई उपस्थित रहे है। पेशी दिनांक 05.01.2024 को अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 12.01.2024 को अप्रार्थीगणो के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत दिनांक 12–01–2024 को निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगणो को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरुप किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए न्यायहित में प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है। अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगणो को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई करे। अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2024 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.03.14 10:35:58 IST
Reason: SelfAttested